इन्द्रजीत एवं अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 920-923/2001)

7 अगस्त, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत तथा डॉ मुकुंदम शर्मा, जे.जे.]

निवारक निरोध: विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974: एस 3(1) हिरासत आदेश- उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया- माना गया: अभिनिर्धारित हिरासत की अवधि समाप्त होने के अलावा, हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

अपीलकर्ताओं द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और रोकथाम की धारा 3(1) के तहत उनकी हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिकओं को खारिज करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई थी, व इस आधार पर की गई थी कि जब दूसरा अभ्यावेदन किया गया था, तब केन्द्र सरकार ने उचित समय के भीतर उनके अभ्यावेदन का निपटारा नहीं किया था। कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

इस तथ्य के अलावा कि हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है, अपीलकर्ताओं द्वारा हस्तक्षेप के लिए मामला नहीं बनाया गया। [पैरा 6] [1035 ई]

आर केशव बनाम एम.बी. प्रकाश एवं अन्य ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 301 निर्दिष्ट किया गया।

श्रीमति ग्रेसी बनाम केरल राज्य और अन्य 44 (1991) दिल्ली लॉ टाइम्स 1; और जसबीर सिंह बनाम राज्यपाल, दिल्ली और अन्य (1999) 4 एससीसी 228 को अनुपयुक्त ठहराया गया।

नजीर कानून संदर्भ: 44 (1991) दिल्ली लॉ टाइम्स 1 ने पैरा 1 को अनुपयुक्त ठहराया, (1999) 4 एससीसी 228 पैरा 1 को अनुपयुक्त माना गया, एआईआर 2001 एएसी 301 निर्दिष्ट पैरा 5

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार रिटः आपराधिक अपील संख्या 920-923/2001

सन 2000 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 477 और 479 व सन 2000 की समीक्षा आवेदनों की आपराधिक विविध संख्या 1989 और 1988 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 18.12.2000 और 20.12.2000 में से।

अपीलकर्ताओं की ओर से रोहित मिनोचा

प्रत्यर्थी की ओर से अशोक भान, संजीव क. भारद्वाज, बी कृष्णा प्रसाद तथा सतीश विग।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरीजीत पसायत द्वारा निर्णय सुनाया गयाः

1. वर्तमान अपीलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 (1) के तहत पारित हिरासत के आदेश को चुनौती दी गई है (जिसे बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है)। उक्त आदेश इस

आधार पर पारित किया गया था कि, अपीलकर्ता नंबर 1 इंद्रजीत सिंह द्वारा विदेश से सोने की तस्करी की जा रही थी। उसे और अन्य अपीलकर्ता वरिंदर सिंह को 17.12.1999 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा, कलकत्ता के सीमा शुल्क आगमन हॉल में रोका गया था। वे लगभग 8.816 किलोग्राम वजन वाली विदेशी मूल की सोने की ईंटों के 77 टुकडों की तस्करी करते पाए गए जिनकी कीमत लगभग 39 लाख रुपये है। हिरासत को रद्द करने के लिए हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया गया था। सलाहकार बोर्ड और केंद्र सरकार को भी एक अभ्यावेदन दिया गया था। अभ्यावेदनों पर विचार किया गया और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिन्हें 2000 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 477 और 2000 की रिट याचिका संख्या 479 के रूप में गिना गया। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि जब दूसरा अभ्यावेदन किया गया था तब केन्द्र सरकार ने उचित समय के भीतर उनके अभ्यावेदन का निपटारा नहीं किया था। इस न्यायालय के एक निर्णय श्रीमति ग्रेसी बनाम केरल राज्य और अन्य 44 (1991) दिल्ली लॉ टाइम्स 1 पर उच्च न्यायालय के समक्ष मजबूत निर्भरता रखी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा पाया गया कि, उक्त निर्णय श्रीमति ग्रेसी बनाम केरल राज्य और अन्य 44 (1991) दिल्ली लॉ टाइम्स 1 व जसबीर सिंह बनाम राज्यपाल, दिल्ली और अन्य (1999) 4 एससीसी 228) का कोई अनुप्रयोग नहीं था। इसलिए रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई। इसके बाद दिनांक 18.12.2000 के आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन पेश किया गया था जिसे भी खारिज कर दिया गया था।

2. इन अपीलों में उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी गई है।

3. अपीलकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. हमने भारत संघ और प्रत्यर्थी संख्या 3- सेंट्रल जेल के अधीक्षक के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

5. इस समय यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि श्रीमती ग्रेसी बनाम केरल राज्य और अन्य 44 (1991) दिल्ली लॉ टाइम्स 1 में अनुपात का विश्लेषण इस न्यायालय द्वारा आर. केशव बनाम एम.बी. प्रकाश एवं अन्य (एआईआर 2001 एससी 301) में किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार यह पाया गया किः

> "उपरोक्त धारा और अधिनियम के अन्य उचित प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सलाहकार बोर्ड पर पूरे रिकॉर्ड और उसे संबंधित अभ्यावेदन को व अधिनियम की धारा 8(सी) के तहत तैयार की गई रिपोर्ट सरकार के समक्ष पेश करने का कोई कर्तव्य नहीं है। यदि उपयुक्त/उचित लगे तो बोर्ड पूरे रिकॉर्ड मय रिपोर्ट को समीचीन समझा जाने पर प्रेषित कर सकता है, लेकिन ऐसे रिकॉर्ड या रिपोर्ट को भेजने में चूक से हिरासत को अवैध नहीं माना जाएगा और सरकार पर कोई दायित्व नहीं डाला जाएगा, जांच कर यह पता लगाने के लिए कि क्या बंदी ने अपनी नजरीबंदी के खिलाफ किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को कोई प्रतिनिधित्व दिया है या नहीं। हमारी राय है कि श्रीमती ग्रेसी बनाम केरल राज्य और अन्य 44 (1991) दिल्ली लॉ टाइम्स 1 के मामले में यह नहीं माना गया था कि ऐसा कोई दायित्व बोर्ड पर था लेकिन टिप्पणियां यदि उस हद तक की गई थी, तो हमें लगता है कि अधिनियम की योजना और संविधान के आदेश के मद्देनजर वे टिप्पणियां अनावश्यक थीं। नंद लाल बजाज बनाम पंजाब राज्य और अन्य [1981 (4) एससीसी 327] इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीः "मामले को दूसरे दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। हमें

सूचित किया गया था कि सलाहकार बोर्ड ने अपनी कार्यवाही का रिकॉर्ड राज्य सरकार को नहीं भेजा था। यदि ऐसा है, तब अपनाई गई प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं थी। राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 12 के तहत हिरासत आदेश की पुष्टि करते समय न केवल सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन करना होगा, बल्कि रिकॉर्ड पर मौजूद समस्त दस्तावेजात का अवलोकन भी करना होगा। यदि रिकॉर्ड राज्य सरकार के समक्ष नहीं था, तो इसका मतलब है कि अधिनियम की धारा 12 के तहत राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश बिना सोच समझे/विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया था। यह मामले में एक गंभीर अशक्तता है जो निरुद्ध व्यक्ति की निरंतर हिरासत को अवैध बनाती है।"

6. इस तथ्य के अलावा कि हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है, हम यह भी पाते है कि योग्यता के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया है। तदनुसार अपीलें खारिज की जाती है।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायाधिकारी श्रीमती नीतू चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।